न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
15 / 2024	30 / 01 / 2024	25 / 11 / 2025

रामदयाल पुत्र श्री हीरालाल जाति कलाल निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

1 नगरपालिका इटावा जरिये अधिशाषी अधिकारी इटावा जिला कोटा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3 आई.एल.आर इटावा कार्यालय इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट0

निर्णय

प्रार्थी व अप्रार्थीगण क्रम 1 समीपवर्ती काश्तकार है। प्रार्थी ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 984 खसरा संख्या 889 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 890 रकबा 0.09 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड एवं काबिजी कृषक है। प्रार्थी को मुख्य सडक से अपने उक्त कृषि भूमि पर जाने आने कृषि उपज परिवहन एवं कृषि यन्त्रो के आवागमन हेतु एक मात्र सुगम मार्ग जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित किया गया है। के द्वारा निरन्तर वंशानुगत क्रम में उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। प्रार्थी खसरा संख्या 908 से अपने कृर्षि भूमियो पर आवागमन हेतु मार्ग के रूप में उक्त खसरा संख्या का उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा है। प्रतिपक्षी नगरपालिका इटावा द्वारा अपनी वैधानिक उत्तरदायित्वो से परे जाकर समीप स्थित हनुमान मन्दिर की बाउण्ड्री वाल का हवाला देकर प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमियो पर आवागमन का रास्ता दिवार बनाकर अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी का अपनी कृषि भूमियो पर आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नही हो पाने से भूमि पडत रहने की आशंका उत्पन्न हो गई है एवं प्रार्थी को अपने काश्तकारी अधिकारो से वचिंत होना पड़ रहा है। उक्त मार्ग प्रार्थी की कृषि भूमि पर प्रार्थी की पहुच का एक मात्र उपलब्ध मार्ग है, उक्त मार्ग पर अतिक्रमण हो जाने की दशा में प्रार्थी का अपनी ही कृषि भूमि पर रास्ते के अभाव में कृषि कार्य कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से वाछिंत

खसरा नम्बर के पूर्ववत 15–20 फिट चौडा मार्ग सुचारू रूप से पूर्ववत प्राप्त कर अपनी कृषि भूमि पर अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है, प्रार्थी मार्ग का वैधानिक शुल्क माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जमा करवाने हेतु तत्पर है। प्रार्थी द्वारा तत्सम्बन्धी निवेदन कई बार राज्य शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय पीपल्दा को कई बार किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई ध्यान नही दिये जाने से एवं उक्त मार्ग सुचारू रूप से नियमित नहीं करवाये जाने प्रार्थी को विवश होकर माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत होना पडा है। उक्त वर्णित विधि अनुसार प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के निर्देश एवं आदेश शर्तो के अध्यधीन प्रार्थी विधिविहित शुल्क अदा कर उक्त मार्ग को राजस्व अकंन एवं राजस्व नक्शे मे तद्नुसार संशोधित करवाकर मार्गाधिकार प्राप्त करने का पात्र है, तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। खसरा नम्बर 908 मुख्य सडक कोटा श्योपुर राजमार्ग होने से प्रार्थी को मुख्य सडक तक आवागमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त होने एवं न०पा इटावा द्वारा राजकिय सडक पर अपनी वैधानिक शक्तियो का दुरूपयोग कर प्रार्थी के वाछिंत मार्ग पर आवागमन अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से अपने मार्ग का खुलासा करवायें तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय में पेश है। तहसीलदार पीपल्दा एंव आई.एल.आर इटावा को भूधारक एवं भू: सर्वेक्षण ऑथोरिटी होने एवं एक्जीक्यूटिव एजेन्सी होने से आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी के रूप मे संयोजित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त अधिकारीगणो को निवेदन करने एवं उनके द्वारा कोई प्रभावी सहायता नही कर पाने से उक्त प्रतिपक्षीगणो को बतौर अप्रार्थी संयोजित किया जा रहा है। उक्त मार्ग की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ में दर्ज की जा रही है, उक्त वाछिंत मार्ग को परिशिष्ट अ मे अ.ब.स.द बिन्दुओ से दर्शित किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हैतु वाद कारण विगत् दिनांक 22.12.2023 को प्रार्थी द्वारा न०पा इटावा को उक्त बाउण्ड्री की वाल की भूमि से प्रार्थी को वाछिंत मार्ग उपलब्ध करवाने एवं दिनांक 24.12.2023 को तहसीलदार महोदय को तत्सम्बन्धी निवेदन करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही किये जाने पर प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वाद कारण लगातार उत्पन्न है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार एंव संलग्न परिशिष्ट अ में

वर्णित अनुसार प्रार्थी को खसरा संख्या 908 से प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा संख्या 889, 890 तक अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा निर्मित बाउण्ड्री वाल में से 15–20 फिट चौडा मार्ग मुताबिक राजस्व रिपोर्ट प्रार्थी से वैधानिक शुल्क जमा करवाया जाकर प्रार्थी को उक्त वर्णित मार्गाधिकार प्रदान करने हैतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त है। जो अग्रलिखित है। उक्त प्रकरण में ग्राम इटावा की आराजी ख0नं0 889 रकबा 0.26है0, ख0नं0 890 रकबा 0.09है0 भूमि खातेदार रामदयाल पुत्र हीरालाल जाति कलाल दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की ख0नं0 890 मुख्य सडक (इटावा–खातौली) के लगवा स्थित है। ख0नं0 890 के समीप उत्तरी दिशा में स्थित ख0नं0 891 में मौके पर मन्दिर बना हुआ है। ख0नं0 890 की भूमि मे मन्दिर का परिसर बना हुआ है जिस पर कोई पक्का निमार्ण नहीं है। नजरी नक्शा अनुसार स्वयं की आराजी ख0नं0 889 में पहुंचने हेतु मौके पर रास्ता चाहता है। मौके पर ख0नं0 890 के रोड साइड में पूर्व दिशा में लगभीग 3–4 फीट ऊंची पक्की बाउड्रीवाल बनी हुई है जिसको हटाकर ही रास्ता दिया जा सकता है पूर्व में उपरोक्त भूमि से रास्ता निकालने पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया था। जबकि ख0नं0 890 भूमि रामदयाल पुत्र हीरालाल जाति कलाल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जवाब सरकार दिनांक 24.07.2024 के अनुसार ग्राम इटावा की ख0नं0 890 स्वयं की खातेदारी में दर्ज है जो सडक के सटवा है। अतः रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा